Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 194-2019/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2019 (KARTIKA 28, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 नवम्बर, 2019

संख्या Misc-G1-Vol-II/Asstt(AK)/2019-7/30/2019-2TCP.– पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 25 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उप–धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है;

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) नियम, 2019, कहे जा सकते हैं ।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 में, नियम 26 **'च'** के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"26 'च' स्वीकृति की अवधि–नियम 26 ड के अधीन प्रदान की गई अनुमति पच्चीस एकड़ तक की भूमि के लिए दो वर्ष की अवधि तथा पच्चीस एकड़ से अधिक की भूमि के लिए ऐसे आदेशों की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी जिस अवधि के दौरान अनुमत उपयोग के लिए उक्त भूमि देने हेतु संकर्म पूर्ण किए जाएंगेः

परन्तु यदि स्वामी भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति को आगे नवीकरण के लिए लिखित में कोई आवेदन करता है तथा यदि निदेशक आवेदक द्वारा वर्णित कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है, तो ऐसी अनुमति निम्नानुसार अवधि तक आगे नवीकृत की जा सकती है :–

i.	पच्चीस एकड़ तक की भूमि तथा बहुमंजिला भवनों से अन्यथा के लिए प्रदान की गई अनुमति हेतु	दो वर्ष
ii.	पच्चीस एकड़ तक की भूमि तथा बहुमंजिला भवनों के लिए (चार मंजिला या ऊंचाई में पन्द्रह मीटर से अधिक जैसी भी स्थिति हो) भवन योजनाएं अनुमोदित हैं हेतु	तीन वर्ष
iii.	पच्चीस एकड़ से अधिक की भूमि हेतु	पाँच वर्ष

नवीकरण निदेशक के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई – भुगतान के रूप में उस तिथि को लागू परिवर्तन प्रभारों के दस प्रतिशत के भुगतान के अध्यधीन होगाः

परन्तु यह और कि सरकार के अनुमोदन से निदेशक एक और वर्ष तक अनुमति बढ़ा सकता है, यदि उसकी सन्तुष्टि हो जाती है कि प्रथम परन्तुक के अनुसार अनुमति नवीकरण प्रदान करने के बावजूद, संकर्म के निष्पादन में विलम्ब आवेदक के नियन्त्रण से बाहर है। विस्तार उस तिथि को लागू परिवर्तन प्रभारों के पन्द्रह प्रतिशत के भुगतान पर प्रदान किया जाएगा तथा निदेशक के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट / ई – भुगतान के रूप में जमा किया जाएगा।"

ऐ० के० सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

Dated 19th November, 2019

No. Misc-G1-Vol-II/Asstt(AK)/2019-7/30/2019-2TCP.— The following draft of rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in its application to the State of Haryana, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 25 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), is hereby published as required by Sub-section (1) of the said Section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department Haryana, Chandigarh from any person with respect to the draft rules, before the expiry of the period so specified:-

Draft Rules

1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Rules, 2019.

2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, for the existing rule 26F, the following rule shall be substituted, namely:-

"26F. Duration of sanction.– The permission granted under rule 26-E shall remain valid for a period of two years for land measuring upto twenty five acres and five years for land measuring twenty five acres and above from the date of orders during which period works for putting the said land to the permitted use shall be completed:

Provided that if the owner makes an application in writing for further renewal of the change of land use permissions and if, the Director is satisfied for the reasons mentioned by the applicant, such permission may be further renewed upto a period as follows:-

(i)	For land measuring upto twenty-five acres and permission granted for other than multi-storied buildings	two years
(ii)	For land measuring upto twenty-five acres and building plans for multi-storied buildings (more than four storied or fifteen metres in height as the case may be) are approved	three years
(iii)	For land measuring twenty-five acres and above:	five years

The renewal shall be subject to payment of ten percentum of conversion charges applicable as on date in form of demand draft/e-payment in favour of the Director:

Provided further that the Director with the approval of the Government may extend the permission by another one year, if he is satisfied that the delay in execution of works is beyond the control of applicant, inspite of granting renewal of permission as per the first proviso. The extension shall be granted on payment of fifteen percentum of conversion charges applicable as on the date and shall be deposited in the form of demand draft/e-payment in favour of the Director".

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

57484—C.S.—H.G.P., Chd.